भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति

प्रदोष कुमार

आर० सी०कॉलेज, मंझौल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है।संविधान सभा मे इस शब्दके प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए डॉ अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि "यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है किंतु समिति ने राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं। संविधान सभा में इन लाभों को की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्यों का संघ अर्थात भारत का परिसंघ इकाइयों के बीच करार का परिणाम नहीं है। साथ ही किसी भी संघटक इकाई को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है भारत की संवैधानिक प्रणाली आधारत: परिसंघीय यह है किंतु इसमें कुछ स्पष्ट एकिक तत्व भी हैं।

संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र

भारत को विद्यमॉन संघीय ढाँचे में लाने के लिए ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों का एकीकरण किया गया और बाद मेंभाषाई आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया।

इसके पश्चात समय-समय पर नए राज्यों का गठन किया गया भारत की स्वतंत्रता के संस्था को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 12 मई 1946 को देशी रियासतों पर शोध पत्र प्रकाशित कर ब्रिटिश भारत की सर्वोच्च शक्ति को देशी रियासतों पर समाप्त कर उन्हें स्वतंत्र घोषित किया ब्रिटिश भारत द्वारा भारत को अन्य खंडों में विभक्त करने की मंशा से 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत सम्राट तथा देशी रियासतों के मध्य हुए समझौते इस अधिनियम के प्रवर्तन पर निरस्त हो जाए किंतु सरदार वल्लभभाई पटेल एवं उनके गृह सचिव वी पी मेनन की सूझबूझ एवं प्रयासों से देशी रियासतों का एकीकरण तथासंघात्मक पुर्नरचना का महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 542 देसी रियासतों में से 539 रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से अपना विलय कर दिया शेष तीन रियासतो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में से जूनागढ़ का जनमत संग्रह से हैदराबाद का

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रशासनिक सहयोग से तथा जम्मू कश्मीर रियासत के शासक द्वारा पाकिस्तानी कबिलाइयो के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत में विलय किया गया। ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में क्षेत्र की चार श्रेणियां-भाग के, भाग ख, भाग ग एवं भाग घ के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया था।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने के बाद देश के विभिन्न भागों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग एवं आंदोलन संचालित किया गया ।फल स्वरुप आंध्र अधिनियम 1953 द्वारा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की गई। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था ।22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया

इस 3 सदस्यीय आयोग के अन्य 2 सदस्य के.एम पन्निकर एवं हृदयनाथ कुंजरूथे। 3 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत किए गए आयोग के प्रतिवेदन में संशोधन करते हुए 7 वा संविधान संशोधन 1956 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन से क ख ग एवं घ श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 5 संघ राज्यों के पुनर्गठन किया गया । अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय-समय पर अनेक नए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया।

भारतीय संघवाद के स्वरूप के संबंध में दृष्टिकोण

केंद्र एवं राज्यों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर दो तरह की प्रणालियों एकात्मक एवं संघात्मक का वर्गीकरण किया गया है ।राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत किया गया परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार संविधान या तो एकात्मक हो सकते हैं या परिसंघीय। यह संघ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में किया गया था। अमेरिकी संविधान विश्व के परिसंघीय संविधानो में सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय संविधान निर्माताओं के सम्मुख प्रश्न मुख था कि संविधान का स्वरूप संघात्मक होगी एकात्मक संविधान निर्माताओं ने भारत की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार एक अनूठे एकात्मक परिसंघीय मिश्रण के प्रतिमान की व्यवस्था की थी ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान संघवादी ढांचे के बीच अनूठी विशेषताओं के कारण ही भारतीय संघवाद के स्वरूप के संबंध में दो परस्पर विरोधी मतों में विवाद रहा है। भारतीय संघवाद के संबंध में विविध संविधान शास्त्रियों के मध्य बाद विवाद से दो मत अथवा दृष्टिकोण उभरे हैं ।संविधान शास्त्रियों एवं विद्वानों के एक वर्ग की मान्यता है कि भारत का संविधान संघात्म कम और एकात्मक अधिक है इस दृष्टिकोण की प्रधानता के० सी० व्हीयर के विचारों में परिलक्षित होती है कि जिनके अनुसार," भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्द्धसंघ है"। भारत का संविधान जो

ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परिसंघ कल्प है| यह एक ऐकिक राज्य है ।जिसमें कुछ अनुषंगी परिसंघीय लक्षण हैं। डी एन बनर्जी के अनुसार भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है किंतु उसका झुकाव एकात्मकता की हो रहा है

नारमन डी पामरके अनुसार,@ भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं जिन्होंने सघात्मक स्वरूप को अपने ढंग से ढाला है। भारत में संघवाद के स्वरूप के संदर्भ में विद्वानों के उल्लेखित 2 मतों के विश्लेषण के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संघ की प्रकृति तथा स्वरूप विशुद्ध एकात्मक अथवा विशुद्ध संघीय प्रकृति की नहीं है।

भारतीय संविधान संविधान निर्मात्री सभा में अंबेडकर ने संविधान के स्वरूप स्पष्ट किया है कि "यह एक संघीय संविधान है केंद्र तथा राज्य दोनों का गठन संविधान द्वारा हुआ है और दोनों की शक्ति एवं अधिकार का स्रोत संविधान है अपने क्षेत्र क्षेत्राधिकार में कोई किसी के अधीन नहीं है एक का प्राधिकार दूसरे का पूरक है"।

भारतीय संविधान निर्माता की मंशा यद्यपि संघात्मक ढांचे क्या स्थापना थी , तथापि संविधान के अंतररंग में ही एकात्मकता के प्रबल तत्वों को समाहित करते हुए राष्ट्रीय हितों एवं संघीय ढांचे को गतिशील बनाए रखने का प्रयास अंतर्निहित था।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner